न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 28/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 13.7.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

राजेश कुमार आ0 किशनचन्द जाति सिन्धी निवासी गुरू नानक कॉलोनी बूंदी तहसील बूंदी थाना कोतवाली बूंदी जिला बूंदी (राज0)।

..... अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी जिला बूंदी (राज0)।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अनन्त शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक–रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 22.3.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण संख्य 95/अपील/19 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान राजेश कुमार बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी मे पारित निर्णय दिनांक 8.6.2020 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार बूंदी द्वारा दिनांक 31.10.18 को निर्णय पारित कर अपीलांट को ग्राम रामगंज के ख0 नं0 65 रकबा 2.00 बीघा किस्म गे0मु0 नाली पर अतिक्रमण करने के कारण राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 (2) के अन्तर्गत के कार्यवाही कर 250/–रूपये शास्ति, भूमि से बेदखल, खडी फसल जप्त कर नीलामी की कार्यवाही एंव तीस दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे अपील प्रस्तुत की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 8.6.2020 से खारिज किया।

3 प्रथम अपीलेट अधिकारी, जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 8.6.2020 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बूंदी ने अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया तथा अपीलांट की प्रोपर तामील कराये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर नही किया। इस

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

महत्वपूर्ण बिन्दू पर भी गौर नही किया कि अपीलांट विधिवत प्रोपर तामील नही होने से अपीलांट को साक्ष्य पेश करने एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ। तहसीलदार बूंदी के यहां जेरकार कार्यवाही मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की कोई साक्ष्य विद्यमान नही होते हुये भी जिला कलक्टर महोदय बूंदी ने जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन नाली बताई गई है वहां मौके पर नाली न तो पूर्व विद्यमान थी और न ही वर्तमान मे है पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.2.2020 अनुसार अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है इस बिन्दू पर भी कोई गौर नही कर निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार की जाकर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

4 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार बूंदी द्वारा अपीलांट की प्रोपर तामील कराये बिना ही एक पक्षीय निर्णय दिनांक 31.10.18 पारित किया है। वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन नाली बताई गई है जबकि वहां मौके पर नाली न तो पूर्व विद्यमान थी और न ही वर्तमान मे है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.2.2020 अनुसार अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कोई गौर नही कर निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अतः निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

6 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी सं0 2074 मौसम खरीफ मे भी वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन नाली पर अतिक्रमी रहा है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। तहसीलदार बूंदी ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होने पर जेरअपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यो का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/रेकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार बूंदी ने राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 (2) के अन्तर्गत के कार्यवाही कर अपीलार्थी को 250/–रूपये शास्ति, भूमि से बेदखल, खडी फसल जप्त कर नीलामी की कार्यवाही एंव तीस दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने का दिनांक 31.10.18 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने की पुष्टि होने पर परीक्षण न्यायालय के निर्णय मे हस्तक्षेप की गुजाइंश नही होने संबधी अभिमत प्रकट करते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 8.6.2020 से खारिज की है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि परीक्षण न्यायालय ने उसको नोटिस नही दिया ना ही

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

नोटिस की विधिवत, प्रोपर तामील कराई गई जिससे उसको पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नही हुआ। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे यह भी तर्क रहा है कि वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन नाली बताई गई है जबकि वहां मौके पर नाली न तो पूर्व विद्यमान थी और न ही वर्तमान मे है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.2.2020 अनुसार भी अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट के तर्क के संबध मे परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बूंदी द्वारा पारित निर्णय 31.10.18 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है जिससे अपीलार्थी को पक्ष एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्राप्त नही हो सका। अतः तहसीलदार बूंदी द्वारा प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 31.10.18 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। प्रथम अपीलेट न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पटवारी हल्का की रिर्पोट दिनांक 26.2.2020 के अवलोकन से प्रकट होता है कि ख0 नं0 65 पर पूर्व मे अतिक्रमी राजेश कुमार आ0 किशनचन्द सिन्धी सा0 बूदी का मौके पर कब्जा काश्त नही है। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही जेरअपील निर्णय दिनांक 8.6.2020 पारित करने मे त्रुटि की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाते है। प्रकरण तहसीलदार बूंदी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के संबध मे अपीलार्थी को विधिवत नोटिस की तामील कराई जाकर साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये वादग्रस्त भूमि की मौके की वस्तुस्थिति एंव अतिक्रमण की जांच कर तथ्यों का समुचित परीक्षण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8 निर्णय आज दिनांक 22.3..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

22/3/21

(कैलाश चन्द मीना)
सभागीय आयुक्त
कोटा